सिफारिशों का सार

मूल्यह्रास की अनुमति के प्रणालीगत मुद्दों के संबंध में

1. मंत्रालय कम्पनी अधिनियम के अनुसार लागू मूल्यह्रास की दरों के अनुरूप अधिनियम के अन्तर्गत मूल्यह्रास दरों का प्रावधान करने पर विचार करे।

(पैराग्राफ 2.2)

2. मंत्रालय इस शर्त कि सामान्य मूल्यह्रास के 50 *प्रतिशत* की दर पर मूल्यह्रास केवल तभी अनुमत किया जाय जब परिसम्पत्ति कम से कम एक निश्चित निर्धारित अवधि के लिए उपयोग में लाई गई हो, के अध्यधीन सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियों के आधार पर अधिनियम में यथानुपाती आधार पर मूल्यह्रास का प्रावधान करने पर विचार करे।

(पैराग्राफ 2.3)

3. मंत्रालय यह स्पष्ट करे कि क्या धर्मार्थ/धार्मिक न्यासों के मामले में उनपर आय के उपयोग के प्रति परिसम्पत्तियों पर पूँजीगत व्यय के अतिरिक्त मूल्यह्रास अनुमत किया जाना है।

(पैराग्राफ 2.4)

4. सीबीडीटी नि.व. 98 से 02 की अवधि से संबंधित अनवशोवित मूल्यह्रास के अग्रेनीत तथा मुजरा से सम्बन्धित अधिनियम की धारा 32(2) की प्रयोज्यता को स्पष्ट करे।

(पैराग्राफ 2.5)

मूल्यह्रास तथा परिशोधन की अनुमति के निर्धारण के संबंध में

5. सीबीडीटी निर्धारणों की गुणवत्ता सुधारने के लिए तन्त्र का आविष्कार करे और गलतियों के प्रभाव को कम करने के लिए निर्धारण अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण की सम्भावना का पता लगाए।

(पैराग्राफ 3.2 से 3.20 तथा पैराग्राफ 4.2 से 4.4)

आन्तरिक नियंत्रण तन्त्र के संबंध में

6. सीबीडीटी विवरणियों के ई-फाइलिंग को संशोधित करने पर विचार करे ताकि सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान स्थाई परिसम्पत्तियों में की गई वृद्धियों से सम्बन्धित सूचना निर्धारण के समय पर एओ के पास उपलब्ध हो।

(पैराग्राफ 5.2)

7. सीबीडीटी नवीनतम निर्धारण आदेश के अनुसार वर्ष वार अनवशोषित मूल्यह्रास निर्धारण का विवरण प्राप्त करना सभी एओ के लिए अनिवार्य बनाए और निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय उचित सत्यापन के बाद इसे निर्धारण आदेश का एक भाग बनाए।

(पैराग्राफ 5.3)

8. सीबीडीटी अग्रेनीत परिसम्पत्तियों के ब्लाक के अग्रेनीत मूल्य की शुद्धता की जॉच तथा सुनिश्चिता के लिए प्रभावी तन्त्र का अविष्कार करे।

(पैराग्राफ 5.4)